

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
कार्यालय आदेश

सं०सं०-18/बैठक-15/2019.....(18)

पटना, दिनांक- / /2019

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-7527, दिनांक-03.06.2019 द्वारा निर्गत बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2019 के नियम2(क) के तहत सभी विभागों के लिए एक-एक सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी पदनामित किए जाने के प्रावधान के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के लिए श्री राजीव कुमार, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-18/बैठक-15/2019/

स्वा० पटना, दिनांक- / /2019

प्रतिलिपि:-श्री राजीव कुमार, अपर सचिव, विकास भवन प्रथम तल, बेली रोड़ पटना को नियमावली की प्रति एवं उत्तदायी पदाधिकारी नामित किए जाने संबंधी पत्रांक-828, दिनांक-31.05.2019 की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-18/बैठक-15/2019/

स्वा० पटना, दिनांक- / /2019

प्रतिलिपि:-(1) अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी(सामान्य प्रशासन विभाग) (2) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

सरकार के अवर सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-18/बैठक-15/2019/ - 907 (18)

स्वा० पटना, दिनांक- 14/06/2019

प्रतिलिपि:-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।